



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 674 राँची, सोमवार,

21 अक्टूबर, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2024

संख्या-05/एफ-03/03/2020-5735--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन एवं झारखण्ड फायर सर्विस एक्ट, 1948 की धारा-22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है-

01 नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली "झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

02. (1) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-1, नियम-2 (V) में निम्नांकित प्रावधान है:-

'बोर्ड' से अभिप्रेत है-राज्य में झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पद पर भर्ती हेतु गठित

भर्ती बोर्ड / राज्य अग्निशमन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भर्ती बोर्ड "

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आयोग" से अभिप्रेत है-झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची।"

(ii) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-1, नियम-3 (i) में निम्नांकित प्रावधान है:-

यह संवर्ग महानिदेशक के अधीन राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के नियंत्रक प्राधिकार में कार्य करेगा। इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों के पदों का पूर्ण विवरण अनुसूची-1 के अनुरूप होगा।

" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"यह संवर्ग पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड के नियंत्रक प्राधिकार में कार्य करेगा। इस संवर्ग के विभिन्न स्तरों के पदों का पूर्ण विवरण अनुसूची- 1 के अनुरूप होगा।"

iii) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-1, नियम 4 में निम्नांकित प्रावधान है:-

नियुक्ति पदाधिकारी:- राज्य अग्निशमन पदाधिकारी होंगे।" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"नियुक्ति पदाधिकारी-पुलिस उप-महानिरीक्षक, गृह रक्षावाहिनी एवं अग्निशमन सेवा होंगे"

(iv) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-3, नियम-8 (ख) में निम्नांकित प्रावधान है:- झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पद पर भर्ती हेतु गठित भर्ती बोर्ड अथवा राज्य अग्निशमन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापन निकालकर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग के मूल कोटि 'अग्नि क चालक' के पद पर भर्ती किया जा सकेगा। अग्नि क चालक के पद पर भर्ती लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच परीक्षा का स्वरूप अनुसूची-II के अनुरूप होगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पद पर भर्ती हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा विज्ञापन निकाल कर लिखित परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग के मूल कोटि 'अग्नि क चालक' के पद पर भर्ती किया जा सकेगा। अग्नि क चालक के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच परीक्षा का स्वरूप अनुसूची-II के अनुरूप होगा।"

(v) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-3, नियम 9 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा: चयन बोर्ड अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र की पंजीयन करेगी। तत्पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार

पर कोटिवार मेधा सूची बनाकर विज्ञापित रिक्त पदों के दुगुना अभ्यर्थी को शारीरिक जाँच परीक्षा एवं भारी वाहन चालन जाँच के लिए बुलाया जायेगा। सफल उम्मीदवारों की प्राप्त अंको के आधार पर कोटिवार मेधा सूची बनाई जायेगी। ऐसी तैयार की गयी मेधा सूची में से भर्ती बोर्ड उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गयी हैं।

यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो उस परिस्थिति में उनकी जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर एवं 'टाई' होने पर उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इसमें भी टाई होने पर आपसी वरीयता उनके उँचाई के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

अन्य बातें समान रहने पर आयोग/भर्ती बोर्ड द्वारा झारखण्ड राज्य निवासी अभ्यर्थियों के नामों की

अनुशंसा प्राथमिकता के आधार पर करेगी।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :-

(क) कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र का पंजीयन किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार तैयार कर शारीरिक जाँच एवं भारी वाहन चालन जाँच हेतु पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड को सौंपा जाएगा।

(ख) पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच

एवं भारी वाहन चालन जाँच हेतु बुलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड द्वारा शारीरिक जाँच एवं भारी वाहन चालन जाँच में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्वद के माध्यम से करायी जाएगी। तत्पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड द्वारा आयोग को सौंपी जाएगी। आयोग द्वारा शारीरिक जाँच एवं भारी वाहन चालन जाँच परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग कटऑफ अंक के आधार पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को करेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई है। आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची को नियुक्ति हेतु पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड को भेजी जाएगी।

(ग) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे मेधाक्रम में उच्चतर स्थान प्राप्त होगा ।

प्राप्तांक और जन्म तिथि समान होने पर उनकी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधाक्रम निर्धारित की जायेगी। शैक्षणिक योग्यता समान होने पर जिस अभ्यर्थी की उँचाई ज्यादा होगी उसे मेधाक्रम में उपर स्थान दिया जायेगा ।"

(vi) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के खण्ड-4, नियम-13 (ग) में निम्नांकित प्रावधान है:-

कालावधि :- प्रोन्नति हेतु गृह विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में निर्धारित कालावधि पूरा किया जाना आवश्यक होगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कालावधि : प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में निर्धारित कालावधि पूरा किया जाना आवश्यक होगा।"

(vii) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के अनुसूची-II, नियम-1 (iii) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"अनिवार्य योग्यता: झारखण्ड अग्निशमन के अराजपत्रित पद पर गठित/भर्ती बोर्ड/राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा / शारीरिक परीक्षा एवं भारी वाहन चलाने की जांच परीक्षा में पास करना आवश्यक होगा ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनिवार्य योग्यता: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड द्वारा आयोजित शारीरिक जाँच एवं भारी वाहन चालन परीक्षा तथा निदेशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा आयोजित चिकित्सा जाँच परीक्षण में पास करना आवश्यक होगा ।"

(viii) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के अनुसूची-II, नियम-2 में निम्नांकित प्रावधान है:-

शारीरिक योग्यता

	ऊँचाई	सीना की माप
(क) सामान्य जाति	165 से०मी०	81 से०मी०
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	165 से०मी०	81 से०मी०
(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति	160 से०मी०	79 से०मी०

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शारीरिक योग्यता

	ऊँचाई	सीना की माप
(क) सामान्य जाति	165 से०मी०	81 से०मी०
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	165 से०मी०	81 से०मी०
(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति	160 से०मी०	79 से०मी०

उम्मीदवारों के उँचाई/सीना की माप आयोग द्वारा राँची जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा।"

(ix) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के अनुसूची-II, नियम-4 के (क) एवं (ख) में निम्नांकित प्रावधान है:-

लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा दो भागों में ली जायेगी-

(क) प्रथम भाग-प्रथम भाग में दसवीं कक्षा स्तर की हिन्दी की लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसमें पूर्णांक-100 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण (क्वालिफाई) होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णांक 30 प्रतिशत होगा। परीक्षा अवधि 2 घंटा की होगी।

(ख) द्वितीय भाग-द्वितीय भाग में मैट्रिक स्तर के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इस भाग की परीक्षा में उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए 30 प्रतिशत अंक आवश्यक होगा। उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने पर मेधा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसमें निम्न प्रकार से अंक दिये जायेंगे-

00%-30%	00 अंक
31%-40%	01 अंक
41%-50%	02 अंक
51%-60%	03 अंक
61%-70%	04 अंक
71%-80%	05 अंक
81%-90%	06 अंक
91%-100%	07 अंक

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"लिखित परीक्षा:- लिखित परीक्षा का कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक / 10वीं स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप होगी।"

(x) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के अनुसूची-II, नियम-7 में निम्नांकित प्रावधान है:-

" अपील- यदि कोई उम्मीदवार अपने सीना की माप/उँचाई की माप से संतुष्ट नहीं हो तब वह अपनी जांच के उपरांत उसी दिन समिति के अध्यक्ष को अपना लिखित आवेदन देगा। समिति के

अध्यक्ष उसी समय समिति के सभी सदस्यों के समक्ष वैसे उम्मीदवार की पुनः नापी करेंगे और यदि कोई त्रुटि हो, तब उसका सुधार तत्काल करेंगे एवं उम्मीदवार को तदनुसार अवगत करा देंगे। इसके बावजूद यदि वह उम्मीदवार पुनः मापी से भी संतुष्ट नहीं हो तब वह जांच समाप्त होने के तीन दिनों के अन्दर संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा झारखण्ड, रांची के पास अपील करेगा। पुलिस उप-महानिरीक्षक उस उम्मीदवार की मापी लेंगे एवं तदनुसार निर्णय लेंगे एवं संबंधित अध्यक्ष को लिये गये निर्णय से अवगत करायेगें। पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा की गयी मापी अंतिम होगी। इसके उपरांत कोई अपील अनुमान्य नहीं होगी।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अपील :-

(क) यदि कोई उम्मीदवार अपने उँचाई / सीना की माप से संतुष्ट नहीं हो तो वह तीन दिनों के अन्दर पुलिस उप-महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, रांची के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, रांची का निर्णय अंतिम होगा ।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार अपनी चिकित्सा जाँच से संतुष्ट नहीं हो तो वह तीन दिनों के अन्दर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा गठित "शीर्ष मेडिकल बोर्ड (Apex Medical Board)" के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में "शीर्ष मेडिकल बोर्ड (Apex Medical Board)" का निर्णय अंतिम होगा ।

(ग) यदि कोई उम्मीदवार वाहन चालन जाँच से संतुष्ट नहीं हो तो वह तीन दिनों के अन्दर पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची के समक्ष अपील कर सकेगा। इस मामले में पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, रांची का निर्णय अंतिम होगा ।"

(xi) झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के अनुसूची-II, नियम-10 (iv) में निम्नांकित प्रावधान है:-
सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करना ।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित कालावधि पूरा करना।"

03. झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

प्रधान सचिव ।
